RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : रविवार 07 जनवरी 2023 वर्ष 05 अंक 256 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

शिवसेना में टूट पर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

कहा- 'मैंने विद्रोह किया क्योंकि... ''

आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एकनाथ शिंदे की अगुवाई शिवसेना ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे जिले के राजगुरुनगर से ''शिव संकल्प रैली''की शुरूआत की है. इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जुन 2022 में उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया और शिवसेना को विभाजित कर दिया.

सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में विभाजित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ''मैंने पूरी ईमानदारी और पार्टी को बचाने के नियत से सख्त स्टैंड लिया और मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया. शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, ''साल 1995 में बीजेपी के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया और सत्ता में आई, तब बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. ''उन्होंने आगे कहा, ''उन्होंने ऐसा नहीं किया, बाला ठाकरे अपनी जगह एक दूसरे पार्टी कार्यकर्ता (मनोहर जोशी) को मुख्यमंत्री बना दिया.''

'अब की बार 45 पार'

प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सीएम एकनाथ शिंद ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में हमने नया नारा दिया है, अबकी बार 45 पार. उन्होंने महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया. सीएम शिंदे ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से खुश हैं, इसका परिणाम चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में देखने को मिला है.

दरअसल, साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर सहमति न बन पाने के कारण शिवसेना ने बीजेपी से सालों पुराना गठबंधन तोड़ दिया था. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होने के अपने फैसले पर कहा था कि ''उन्होंने अपने दिवंगत पिता से वादा किया है कि एक बार फिर से शिवसेना के एक कार्यकर्ता को महाराष्ट्र में शीर्ष पद मिलेगा.''हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी, कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने.

सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर तंज...

इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने वादा किया था कि पार्टी की जीत पर एक शिवसेना के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसके उलट वह खुद मुख्यंत्री बन गए. इस मौके पर उन्होंने निवेश के मोर्चे पर अपनी सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए दिखाई पड़े.

बीजेपी विधायक की बढ़ सकती है मुश्किलें...

पुणे में पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के आरोप में केस दर्ज

महाराष्ट्र के पुणे शहर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में पुणे छावनी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सुनील कांबले ने यहां ससून जनरल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया.

सुनील कांबले के खिलाफ दर्ज हुआ केस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कांबले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ससून जनरल अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे.

वायरल वीडियो में क्या था?

वीडियो में कांबले कार्यक्रम के बाद सीढ़ियों से उतरते और रास्ते में आए एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि वह व्यक्ति बंडगार्डन पुलिस थाने से संबंद्ध ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल था. कांबले ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ''मैंने किसी के साथ मारपीट नहीं की. मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी रास्ते में कोई आ गया. मैंने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गया.''

राज्य में अवैध वाहन घोटाला मामला, उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग ने वसई में 4 वाहन जब्त किए

वसई: वाहन घोटाले के सिलसिले में विरार में मामला दर्ज होने के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच शुरू कर दी है. अब तक परिवहन विभाग ने कुल 4 वाहनों को जब्त किया है. इसमें 2 बसें और 2 मालवाहक वाहन शामिल हैं। आशंका है कि वसई विरार शहर में ऐसे 60 से ज्यादा वाहन हैं और क्षेत्रीय परिवहन विभाग के जरिए उनकी तलाश की जा रही है. वसई विरार शहर में हाल ही में दूसरे राज्यों से निजी बसों का अवैध रूप से पंजीकरण कर उन्हें उपयोग में लाने का मामला सामने आया था। उप-क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने शिकायत की थी कि ऐसे कई अवैध वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। यह संभव है कि चोरी हुए इंजनों के आधार पर बेकार पड़े वाहनों की मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जा रहा हो।

कांदिवली से दहिसर तक 9 जनवरी को होगी पानी की दिक्कत, बीएमसी ने जारी किया अलर्ट

मुंबई : कांदिवली, बोरीवली और दहिसर के कुछ इलाकों में 9 जनवरी को कम दबाव में पानी आएगा। बीएमसी ने बोरीवली (पूर्व) में संजय गांधी नैशनल पार्क स्थित बोरीवली हिल जलाशय संख्या 02 का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा रही है। यह काम 09 जनवरी, 2024 को दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक (कुल आठ घंटे) किया जाएगा। इस काम के लिए बोरीवली हिल जलाशय क्रमांक 2 से पानी खाली कर दिया जाएगा। इस कारण कांदिवली, बोरीवली और दहिसर के कुछ इलाकों में कम दबाव में पानी आएगा।

हिल जलाशय के स्ट्रक्चरल ऑडिट के चलते कांदिवली में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, ठाकुर विलेज, और समता नगर-सरोवा कॉम्प्लेक्स, बोरीवली पूर्व और दहिसर में शिव वल्लभ मार्ग (उत्तर की ओर), मारुति नगर, रावलपाडा, गावडे नगर, भोईर नगर, मिनी नगर, ज्ञानेश्वर नगर इलाके में जलापूर्ति प्रभावित होगी। इसी क्षेत्र के कोकणी पाडा, संत नामदेव मार्ग, वाघदेवी नगर, केशव नगर, राधाकृष्ण नगर, दहिसर टेलिफोन एक्सचेंज, आनंद नगर, आशीष कॉम्प्लेक्स, एन.एल. कॉम्प्लेक्स, वीर संभाजी नगर क्षेत्र में भी वॉटर सप्लाई पर असर पड़ेगा। बीएमसी जलापूर्ति विभाग के अनुसार, लगभग पूरा दहिसर एरिया प्रभावित होगा, जिसमें दहिसर पुलिस स्टेशन, किसन नगर, केतकीपाडा, ऑनलाइन पंपिंग और दहिसर पूर्व एरिया शामिल है।

पार्टी के बीच 21वीं मंजिल से कूदकर शख्स ने की आत्महत्या... मामले की जांच में जुटी पुलिस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने दोपहर करीब 2 बजे वसोर्वा में अपने अपार्टमेंट की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले पर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कर ली है। उन्होंने मुंबई के सेवरी में एक ऊंचे अपार्टमेंट की 21वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक, तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को सूचना दी कि एक आदमी अपार्टमेंट से कूद गया है। सूचना मिलते ही रफी अहमद किदवई (आरएके) मार्ग पुलिस थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कहा, ''जब युवक ने दुखद कदम उठाया, तो उसके अन्य दोस्त उसके कमरे में मौजूद थे। पुलिस कमरे में मौजूद उसके तीन दोस्तों से पूछताछ कर रही है। ये सभी दोस्त देर रात तक पार्टी कर रहे थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से शख्स ने इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस को युवक के पास से किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामले में आगे जांच चल रही है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

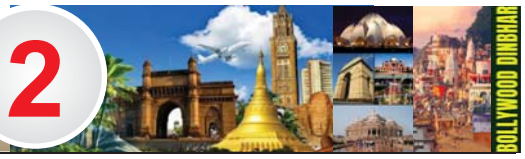

संपादकीय / लेख

हिट ऐंड रन कानून...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

हिट ऐंड रन दुर्घटनाओं (वाहनों से सड़क पर हादसा कर भाग जाने के मामले) के लिए बने नए कानूनों के कुछ प्रावधानों का पहले ट्रक संचालकों और बाद में कैब चालकों का विरोध बताता है कि सड़क परिवहन उद्योग और देश की पुलिस तथा न्यायिक व्यवस्था दोनों में दिक्कतें हैं। नया कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत आता है। संसद ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को हटाकर उसकी जगह लागू करने के लिए बीएनएस पारित कर दी है। अगर कोई वाहन चालक खराब ढंग से वाहन चलाते हुए या असावधानीवश सड़क पर किसी को घायल कर देता है या उसके कारण किसी की मौत हो जाती है तब नई संहिता की धारा 106 कहती है कि चालक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बगैर फरार हो जाता है तो उसे 10 वर्ष की कैद और/अथवा जुमार्ना भुगतना पड़ सकता है। आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में केवल दो वर्ष की जेल और/अथवा जुमार्ना था। नया कानून अमेरिका और यूरोपीय संघ में लागू कानून के अनुसार ही है। उदाहरण के लिए अमेरिका में हर राज्य दुर्घटना के बाद फरार होने पर आपराधिक आरोप तय करता है। वहां इसके लिए 1 वर्ष से 15 वर्ष की कैद हो सकती है और 5,000 डॉलर से 20,000 डॉलर जुमार्ना भी चुकाना पड़ सकता है। भारत में आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहां कठोर कानूनी दंड की दरकार लंबे समय से थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े कहते हैं कि भारत में हिट ऐंड रन के 43,000 से 47,000 मामले दर्ज हैं और करीब 50,000 लोग इन मामलों में शिकार हुए। सड़क दुर्घटनाओ में होने वाली मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह ऐसे ही मामले हैं, जहां दुर्घटना करने वाले किसी को सूचित किए बगैर घटनास्थल से निकल भागते हैं। चूंकि यह कानून सभी नागरिकों पर लागू होता है तो सवाल उठता है कि ट्रक चालक और कैब चालक इतना विरोध क्यों कर रहे हैं?

इस प्रश्न का उत्तर इस बात से मिलता है कि नए कानून से सबसे अधिक प्रभावित वे ही हो सकते हैं क्योंकि वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले अक्सर तेज रफ्तार में या लापरवाही से वाहन चलाते पाए जाते हैं। उनकी नजर में ऐसा करना फायदेमंद है। उदाहरण के लिए यह बात हम सभी जानते हैं कि जो ट्रक चालक माल को समय से पहले तय जगह पर पहुंचा देते हैं उन्हें ट्रांसपोर्टर बहुत उदारता के साथ पुरस्कृत करते हैं और अच्छा बोनस देते हैं। इसी प्रकार कैब चलाने वाले रोज कमाने और खाने वाले होते हैं। वे भी रोज अधिक से अधिक सवारियां ढोने की कोशिश करते हैं। कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ यह रुझान भी काफी बढ़ा है।

एक प्रश्न यह भी है कि आखिर क्यों भारत के लोग हिट ऐंड रन जैसे दुर्घटना के मामलों में प्रशासन को सूचना देने का अपना नागरिक दायित्व निभाने में पीछे रहते हैं या ऐसा नहीं करना चाहते। इसकी एक वजह जनता के साथ पुलिस के व्यवहार से जुड़ी हुई भी है। वर्ष 2018 का एक अध्ययन बताता है कि 25 फीसदी से भी कम भारतीय पुलिस पर भरोसा करते हैं। वे डरते हैं कि वे कहीं लंबी मुकदमेबाजी में न फंसना पड़ जाए और एक डर इस बात का भी रहता है कि कानूनी मदद कहीं उनकी जेब पर भारी न पड़ जाए। मगर नए कानून को इस तरह तैयार किया गया है कि यह लोगों को ऐसा करने से रोकने का काम करे। ऐसे में यह दुर्घटनाओं के मामलों की सूचना देने की कम दर को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे मामलों में सजा की कम दर भी एक वास्तविक समस्या को रेखांकित करती है। हिट ऐंड रन मामलों के जिम्मेदार अधिकतर लोग अक्सर सजा से बच निकलते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि केवल 49 फीसदी मामलों में ही दोषियों को सजा होती है। इस मसले को कोई भी कानून हल नहीं कर सकता है चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। यह दिक्कत तभी दूर हो सकती है जब राज्यों के पुलिस बलों का विस्तार किया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए तथा कम से कम उनको निगरानी कैमरों जैसी समुचित बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। उदाहरण के लिए दिल्ली में करीब 80,000 पुलिसकर्मी हैं लेकिन उनमें से केवल 6,000 ही यातायात पुलिस में तैनात हैं। ऐसे में बीएनएस की धारा 106 को नीयत के स्तर पर तो ठीक कहा जा सकता है लेकिन जब तक कानून प्रवर्तन प्रणाली की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक यह प्रभावी साबित नहीं होगी।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

पुनर्विवाहित मुस्लिम महिला भी भरण-पोषण खर्च का दावा करने की हकदार है - हाई कोर्ट

मुंबई : पुनर्विवाहित मुस्लिम महिलाओं को अपने अलग हुए पतियों से भरण-पोषण खर्च का दावा करने का अधिकार है। निवार्ला हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि दोबारा शादी के बाद भी वह अपने पहले पति से इन खर्चों का दावा कर सकती है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) में पुनर्विवाह शब्द का उल्लेख नहीं है। इसलिए मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी पहले पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने और तलाक के बाद भी सामान्य जीवन

जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है, ऐसा न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की एकल पीठ ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए बताया। यह कानून तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कानून में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पुनर्विवाह के बाद अलग हुई पत्नी के अधिकार सीमित हो जाते हैं। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि कानून की मंशा ऐसी नहीं है. तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को तलाक की तारीख पर ही भरण-पोषण खर्च का दावा करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति पाटिल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला पत्नी के पुनर्विवाह में बाधा नहीं बनता है। सऊदी अरब में कार्यरत याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के मई 2017 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने 5 अप्रैल, 2008 को एक पत्र के माध्यम से तलाक के लिए अर्जी दी।

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की शादी 2005 में हुई थी। फिर, दूसरे वर्ष में, उनकी एक बेटी हुई। चूँकि याचिकाकर्ता सऊदी अरब में कार्यरत था, प्रतिवादी शुरू में अपने माता-पिता के साथ चिपलून में रहता था। फिर, जून 2007 में, वह अपनी बेटी के साथ अपने माता-पिता के घर रहने आ गयी। इसके अलावा, उसने अपने और बेटी के भरण-पोषण के लिए निचली अदालत में आवेदन किया।

सीनियर डॉक्टर ने रेजिडेंट डॉक्टर से की मारपीट... अस्पताल का प्रकार

पिटाई करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की...

ठाणे: नगर निगम के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में शुक्रवार को एक वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का मामला सामने आया है. समझा जाता है कि विवाद मरीज को भर्ती नहीं करने को लेकर हुआ. इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर ने पिटाई करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस बीच, नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना की रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

कुछ दिन पहले कलवा हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची इलाज के लिए आई थी. उसे इलाज के लिए सायन अस्पताल भेजा गया. इसे लेकर अस्पताल प्रशासन की आलोचना हुई थी. गुरुवार को एक 6-7 साल की बच्ची इलाज के लिए अस्पताल आई थी, वहीं ये मामला ताजा था. रेजिडेंट डॉक्टर ने उसके रिश्तेदारों को उसे सायन अस्पताल ले जाने की सलाह दी जहां उसे पीटा गया। उसके परिजनों ने जन प्रतिनिधि के माध्यम से वरिष्ठ डॉक्टर से संपर्क किया और उसके बाद वरिष्ठ डॉक्टर ने रेजिडेंट डॉक्टर को अस्पताल में उसका इलाज करने का निर्देश दिया. इसके चलते शुक्रवार को डॉ. नगर निगम सूत्रों ने बताया कि बरनवाल और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच बहस हुई थी।

फेरीवालों ने नगर निगम अधिकारियों से की मारपीट!

भायंदर : कारोबार करने से रोके जाने से नाराज होकर मीरा रोड के फेरीवालों ने मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की. इस संबंध में नयानगर थाने में 17 फेरीवालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह घटना गुरुवार रात की है. शांतिनगर क्षेत्र में कुछ दिनों से फेरीवालों को लेकर विवाद चल रहा है।

फेरीवाले द्वारा दुकानदार की पिटाई की घटना के बाद नगर निगम वहां कारोबार कर रहे फेरीवालों पर कार्रवाई कर रहा है. हॉकरों की आजाद हॉकर्स एसोसिएशन और नगर निगम प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। गुरुवार को भी नगर पालिका की अतिक्रमण निरोधक टीम ने ठेले-खोमचे वालों को वहां कारोबार करने पर रोक लगा दी। इसके बाद भी फेरीवालों ने वहां अपना सामान बेचना शुरू कर दिया. सूचना मिलने के बाद नगर निगम अतिक्रमण नियंत्रण विभाग प्रमुख नरेंद्र चव्हाण, वार्ड अधिकारी स्वप्निल सावंत अन्य कर्मचारियों के साथ वहां कार्रवाई करने पहुंचे.

नवी मुंबई सिडको परियोजना प्रभावित महासंघ की स्थापना

उरण: परियोजना पीड़ित किसानों और स्थानीय भूमि पुत्रों के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है. उन्हें न्याय दिलाने के लिए सभी भूमिपुत्र संगठन एकजुट हो गए हैं, परियोजना पीड़ितों के नेता पूर्व सांसद डी.बी. पाटिल की भूमिपुत्रों से अपील कि वे फेडरेशन अध्यक्ष कॉमरेड को न्याय देकर उनके लंबित मुद्दों का समाधान करें। जसाई में संस्थापक समिति की बैठक में भूषण पाटिल। इस मौके पर उन्होंने महासंघ की ओर से अगले आंदोलन की घोषणा की. इसी प्रकार, प्रधान मंत्री डी.टी. बी ० ए। उन्होंने पाटिल के हवाई अड्डे के

नाम की घोषणा करने की भी मांग की.

किसानों और परियोजना पीड़ितों की समस्याओं को लेकर महासंघ के अधीन संगठन की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री और सिडको के प्रबंध निदेशक को नोटिस दिया गया है. इसमें 20 फरवरी को सिडको भवन के सामने 95 गांवों का महाधरना आंदोलन और 4 से 16 मार्च तक सिडको भवन पर शृंखलाबद्ध अनशन किया जायेगा. फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि 17 मार्च को सिडको के स्थापना दिवस पर सिडको भवन से मंत्रालय तक एक लंबा मार्च निकाला जाएगा। भूषण पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक पाटिल, महासचिव सुधाकर पाटिल, महासचिव, उपाध्यक्ष एड. विजय गाडगे, समन्वयक एड. दीपक ठाकुर ने दी। जसाई बैठक में श्रमिक नेता सुरेश पाटिल, वंदना गौरीकर व अन्य उपस्थित थे.

राष्ट्रीय राजमार्ग पर महालक्ष्मी मंदिर के पास भीषण दुर्घटना...

रिक्शा चालक की मौत !

कासा: तलासरी का एक रिक्शा चालक चारोटी से तलासरी की ओर जाते समय महालक्ष्मी मंदिर के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। सामने बंद ट्रक देख रिक्शा चालक ने रिक्शा रोका तो पीछे से आ रहे ट्रक ने रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा कुचल गया और रिक्शा चालक अरविंद वाघ (42 वर्ष, निवासी तलासरी) की मौके पर ही मौत हो गई. तलासरी का रिक्शा चालक अरविंद वाघ आज सुबह वेदांत अस्पताल से किराया लेकर विक्रमगढ़ गया। मरीज को विक्रमगढ़ में छोड़कर तलासरी की ओर जाते समय महालक्ष्मी मंदिर क्षेत्र के सामने एक ट्रक खड़ा होने के कारण उन्होंने रिक्शा रोक दिया। पीछे आ रहे ट्रक को सामने खड़े ट्रक और रिक्शा का अंदाजा नहीं हुआ। तो ट्रक ने रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी. चेंगर में रुके ट्रक और पीछे से आ रहे ट्रक के बीच रिक्शा फंस गया और फंस गया। इस भीषण हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जिससे रिक्शा पिचक गया।

ट्रेन दुर्घटना में 224 लोगों की मौत !

मीरा रोड और वैतरणा स्टेशन के बीच 157 लोग घायल हुए

वसई: मीरारोड और वैतरणा स्टेशन के बीच लगातार ट्रेन हादसे की घटनाएं हो रही हैं. पिछले साल इस रेलवे लाइन पर हादसों में 224 लोगों की मौत हो चुकी है. 157 लोग घायल हुए हैं. मीरारोड से वैत्राणा तक 31 किमी रेलवे पुलिस स्टेशन की सीमा है। इसमें सात स्टेशन हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सभी स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

खासकर विरार, नालासोपारा, वसई, नायगांव स्टेशनों से मुंबई की ओर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण कुछ यात्री लोकल में लटक कर यात्रा करते हैं. इसलिए गिरने की दर भी अधिक है. कुछ यात्री जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के पार यात्रा करते हैं। ऐसे समय में लोकल और फरार्टा भरती एक्सप्रेस की टक्कर से हादसे हो रहे हैं. 2023 में ट्रेन हादसों में 224 लोगों की मौत हो चुकी है. इन मौतों में 50 प्राकृतिक मौतें थीं, 123 यात्रियों की मौत टक्कर के कारण हुई। ट्रेन से गिरकर 45 यात्रियों की मौत हो चुकी है. 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है. वसई रेलवे पुलिस ने जानकारी दी है कि ट्रेन हादसे में 157 यात्री घायल हुए हैं.

राजमार्गों पर लगाए गए विशेष कैमरों के कारण एक साल में वसई, ठाणे, मुंबई में 90 अपराध सुलझे

वसई : फरार आरोपियों पर नजर रखने के लिए राजमार्गों पर लगाए गए विशेष कैमरों के कारण एक वर्ष में 90 से अधिक अपराधों का पता चला है। इसके चलते ऐसे अत्याधुनिक कैमरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल शहर में 5 हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग गुजरात को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है। इस मार्ग से वसई विरार, ठाणे और मुंबई से लेकर गुजरात और अन्य राज्यों तक पहुंचा जा सकता है। तो अपराधी भी उसी रास्ते पर चलते हैं. इसलिए, 2023 में, पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए यहां शिरसाद पुल पर वाहन नंबर रिकॉर्ड करने वाले अत्याधुनिक कैमरे लगाए थे।

ठाकुर्ली में एक जीवित पेड़ को जलाया

डोंबिवली: कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्त डॉ. एक ओर जहां इंदुरानी जाखड़ शहर को हरा-भरा करने की घोषणा कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर ठाकुर्ली ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास सार्वजनिक सड़क पर एक पेड़ पर अज्ञात हमलावरों ने ज्वलनशील रसायनों का इस्तेमाल कर उसे नष्ट कर दिया। इस घृणित प्रकार को लेकर पर्यावरणविदों ने नाराजगी व्यक्त की है। ठाकुरली पूर्व रेलवे स्टेशन के पास ठाकुरली फ्लाईओवर के पास एक सोसायटी के प्रवेश द्वार के बाहर सार्वजनिक सड़क पर एक अशोक का पेड़ है। सात-आठ साल पहले यह पेड़ हरा-भरा था। इस पेड़ के बगल में अन्य अशोक के पेड़ हैं। पिछले दो दिनों से ठाकुर्ली रेलवे स्टेशन पूर्वी इलाके में एक सोसायटी के पास लगे ऊंचे अशोक के पेड़ की पत्तियां काट दी गयी हैं. पेड़

का तना सूख गया. इस पेड़ की देखभाल करने वाले पर्यावरणविदों को इस बात पर संदेह हुआ कि यह हरा-भरा पेड़ अचानक सूख गया। पर्यावरणविदों ने संभावना जताई है कि सड़क बाधित न हो इसलिए अज्ञात लोगों ने ज्वलनशील रसायनों का इस्तेमाल कर पेड़ को जिंदा जला दिया होगा.

ठाकुर्ली के सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पगारे ने उद्यान विभाग के सचिव संजय जाधव को पत्र देकर मांग की है कि ज्वलनशील प्रयोग कर इस पेड़ को नष्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये. इस सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं. शिकायत में, पगारे ने संदेह व्यक्त किया है कि पेड़ को मार दिया गया होगा क्योंकि यह क्षेत्र में वाहनों या समाजों में बाधा उत्पन्न कर रहा था। पार्क विभाग को इस पेड़ के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी चाहिए. दूसरे शब्दों में कहें तो शिकायतकर्ता पगारे ने इस पेड़ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर का प्रयोग करते हुए पाए जाने की आशंका जताई है. यह शिकायत मिलते ही उद्यान विभाग के अधीक्षक संजय जाधव ने डोंबिवली प्रभाग के अधीक्षक महेश देशपांडे को घटना स्थल का निरीक्षण कर तुरंत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. सुबह-शाम इस पेड़ को हरा-भरा देखने वाले नागरिक, पर्यावरणविद इस पेड़ की अचानक हत्या से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

ठाणे में ढहाए जाएंगे अवैध निर्माण... कमिश्नर के अधिकारियों को अहम निर्देश

ठाणे: मनपा क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराने के लिए 10 जनवरी से 10 फरवरी तक एक महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा. वैसे तो यह कार्रवाई पूरे मनपा क्षेत्र में की जाएगी, लेकिन इसका खास जोर कलवा, मुंब्रा और दिवा इलाके पर रहेगा. इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में कमिश्नर अभिजीत बांगर ने बैठक कर बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि एमपीडीए के तहत कार्यवाही का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी भावनाएं व्यक्त की हैं. अनाधिकृत निर्माण भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अपने-अपने क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण की समीक्षा कर ध्वस्तीकरण की कार्ययोजना तैयार की जाए। कमिश्नर बांगड़ ने बैठक में निर्माण स्थल पर खड़े होकर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का आदेश दिया. सभी सहायक आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठाणे शहर में कोई भी अनधिकृत निर्माण शुरू न हो। अनाधिकृत निमार्णों के विरुद्ध अभियान का समन्वय सहायक आयुक्त द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार उन्हें अतिरिक्त अधिकारियों का सहयोग भी दिया जायेगा। अनाधिकृत जुताई के निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए। यदि दोबारा उसी स्थान पर जुताई की गई तो जमीन मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर जमीन सरकारी है तो बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को एमपीडीए के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. यदि निर्माण स्थल पर बोरवेल बना हुआ है तो उसे काटकर उसमें पत्थर डालकर बोरवेल को स्थाई रूप से दबा देना चाहिए। साथ ही, विध्वंस की सभी लागत भूमि मालिक से उसके संपत्ति कर के बकाया के रूप में वसूल की जानी चाहिए। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि डिमांड नोटिस जारी किया जाए और लागत वसूली जाए।

बच्चों में पित्त नली की रुकावट को दूर करना होगा आसान, मुंबई नगर निगम अस्पताल में अपनी तरह की पहली सुविधा...

मुंबई: पित्त नलिकाओं में पित्त पथरी, पित्त नलिकाओं का सिकुड़ना या रुकावट पीलिया का कारण बनता है। ऐसे रोगियों की पित्त नलिकाओं में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी (ईआरसीपी) का उपयोग किया जाता है। हालाँकि बच्चों में वयस्कों की तरह ही एक ही ट्यूब का उपयोग किया जाता है, लेकिन बच्चों में इसका उपयोग करना अक्सर मुश्किल होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अब नायर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक स्लिम डुओडेनोस्कोप उपलब्ध कराने का फैसला किया है. अतः अगले डेढ़ वर्ष तक अगले बच्चों की पित्त नलिकाओं में आने वाली रुकावटों को दूर करना संभव हो सकेगा।

शरीर में उत्पन्न पित्त पित्त नलिकाओं के माध्यम से बहता है। हालाँकि, कई कारणों से पित्त नली में पथरी बन जाती है या पित्त नली संकरी हो जाती है।

ऐसे में पित्त नली से प्रवाहित होने वाला पित्त नली से बाहर निकलने लगता है। तो यह धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। परिणामस्वरूप पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है। ऐसे मामलों में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी (ईआरसीपी) का उपयोग किया जाता है या सर्जरी के साथ-साथ सर्जरी भी की जाती है। हालाँकि, पित्त नली पर सर्जरी रोगी के लिए जटिल और दर्दनाक होती है। इसलिए, ईआरसीपी का उपयोग डॉक्टरों द्वारा पसंद किया जाता है। इसका उपयोग वयस्कों के लिए किया जाता है। हालाँकि, चूंकि बच्चों के लिए कोई विशेष ट्यूब उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध ट्यूब महंगी है, इसलिए कुछ मामलों में डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग बच्चों के लिए किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग केवल पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है। इससे पांच साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब नायर हॉस्पिटल ने बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक स्लिम डुओडेनोस्कोप का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। नायर अस्पताल पीडियाट्रिक स्लिम डुओडेनोस्कोप तकनीक का उपयोग करने वाला मुंबई का पहला अस्पताल होगा। पीडियाट्रिक स्लिम डुओडेनोस्कोप महंगा है और इसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा है। हालांकि, मरीजों को राहत मिलेगी क्योंकि नायर अस्पताल में यह सर्जरी माफ कर दी जाएगी।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर शुरू हुआ 'वातानुकूलित शौचालय' !

मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के उपनगरीय खंड पर सामान्य यात्रियों के लिए एक अत्याधुनिक, गंध रहित, वातानुकूलित पुरुष शौचालय खोला गया है। सीएसएमटी सबसे व्यस्त स्टेशन है; हालाँकि, इस स्टेशन पर उपनगरीय स्थानीय यात्रियों के लिए केवल एक मुतारी थी, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती थी। इस एक बस पर प्रतिदिन लाखों यात्रियों का भार पड़ रहा था। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि मध्य रेलवे गुरुवार से उपनगरीय खंड में एक और अत्याधुनिक, गंध रहित, वातानुकूलित पुरुष शौचालय शुरू करेगा। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक

राम करण यादव ने बुधवार को उद्घाटन से पहले एसी पुरुष शौचालय का निरीक्षण किया. यादव ने इस नये पुरूष शौचालय के कार्य पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद गुरुवार से इस पुरुष शौचालय को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है.

पुलिस ने मुंबई में बम धमाके की अफवाह मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की

मुंबई : मुंबई पुलिस ने शहर में कई स्थानों पर बम विस्फोट की अफवाह वाले ईमेल की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोलाबा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि टीम ‘इंटरनेट प्रोटोकॉल’ (आईपी) पते से ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि मेल एक ही ईमेल आईडी से भेजे गए थे और भेजने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कोलाबा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के प्रबंधन को एक ईमेल मिलने के बाद शुक्रवार को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि संग्रहालय, वर्ली में नेहरू विज्ञान केंद्र और मध्य मुंबई में चिड़ियाघर सहित आठ से अधिक स्थानों पर बम लगाए गए हैं। ईमेल में नामित अन्य संस्थानों को भी यही धमकी मिली। अधिकारी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने दक्षिण मुंबई में स्थित संग्रहालय की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

भगवान राम पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी को लेकर आव्हाड के खिलाफ मुंबई में प्राथमिकी दर्ज

मुंबई : मुंबई पुलिस ने भगवान राम को मांसाहारी बताने वाली टिप्पणी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार देर रात उपनगर अंधेरी के एमआईडीसी थाने में विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। उनके खिलाफ शुक्रवार को पुणे शहर में भी ऐसा ही एक मामला दर्ज किया गया। राकांपा के शरद पवार गुट का हिस्सा आव्हाड ठाणे जिले में मुंब्रा-कलवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी गौतम रावरिया की शिकायत पर मुंबई में आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज

किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने एक समाचार चैनल पर आव्हाड को भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए सुना।’’ उन्होंने बताया कि आव्हाड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (किसी भी धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान कर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आव्हाड ने यह कहकर तीन दिन पहले विवाद खड़ा कर दिया था कि भगवान राम मांसाहारी थे। शिरडी में बुधवार को राकांपा के एक कार्यक्रम में आव्हाड ने कहा था, ‘‘वह (भगवान राम) शिकार करके खाया करते थे। वह हमारे, बहुजनों के थे। आप (भाजपा) हमें शाकाहारी बना रहे हो, (लेकिन) हम राम के उदाहरण को मान रहे हैं और मटन खा रहे हैं।’’ ‘बहुजन’ शब्द का उपयोग महाराष्ट्र में पारंपरिक तौर पर हिंदू समाज के गैर-ब्राह्मण वर्गों के लिए किया जाता है। विधायक आव्हाड ने बाद में कहा कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह खेद व्यक्त करते हैं। पुलिस ने बताया कि पुणे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के प्रमुख धीरज घाटे की शिकायत पर आव्हाड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

फर्जी महिला विधायक द्वारा पिस्टल का लाइसेंस दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगने की घटना

अंबरनाथ : अंबरनाथ में एक फर्जी महिला विधायक द्वारा पिस्टल और लाइसेंस दिलाने के नाम पर साढ़े पांच लाख रुपये ठगने की घटना सामने आई है. इस धोखाधड़ी के मामले में संबंधित महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनका नाम वंदना मिश्रा है और इनके साथियों अभिषेक और फिरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि वंदना मिश्रा और उसके साथियों ने वाहन पर एक स्टिकर लगाकर एक व्यक्ति को धोखा दिया कि वे महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक हैं। अंबरनाथ पश्चिम निवासी अनमोल सिंह ने मिश्रा से वाहन लाइसेंस के बारे में पूछा। तब मिश्रा ने उन्हें बताया कि अभिषेक और फिरोज उनके निजी सहायक थे।

मुंबई, ठाणे की 200 दवा दुकानों में कोई ‘फार्मासिस्ट’ नहीं... खाद्य एवं औषधि प्रशासन को रिपोर्ट की गई

मुंबई: दवा दुकानों में फार्मासिस्ट का होना कानूनन अनिवार्य है। हालांकि, यह बात सामने आई है कि मुंबई और ठाणे में 200 से ज्यादा दुकानों पर कोई दवा विक्रेता नहीं है. इस मामले में आरोप है कि जब सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोट में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा मरीज को सही ढंग से दी गई है, दवा दुकानों में एक फार्मासिस्ट जिसके पास फामाकोलॉजी में डिग्री हो, का होना अनिवार्य है। यदि दुकान में कोई दवा विक्रेता नहीं है तो दुकान मालिक का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा की जाने की संभावना है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन का एफडीएएमएफजी दवा विक्रेताओं को स्टोर मालिक के रूप में पंजीकृत करता है। महाराष्ट्र सरकार. इस वेबसाइट पर अनिवार्य है। यह जांचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दवा दुकानें दवाएं बेच रही हैं या नहीं। हालांकि बताया गया है कि प्रशासन की वेबसाइट पर कोई भी दवा विक्रेता नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दवा विक्रेताओं के बिना मरीज को गलत दवा दे दी गयी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा. औषधि प्रशासन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, मुंबई के 7 वार्डों की 165 दवा दुकानों में दवा विक्रेता नहीं हैं. इसमें पश्चिमी उपनगरों की अधिकांश दवा दुकानें शामिल हैं। ठाणे जिले के सर्कल 1 का मतलब दीघा क्षेत्र में 18 है, जबकि सर्कल 2 का मतलब मीरारोड भयंदर क्षेत्र की 65 दुकानों में कोई दवा विक्रेता नहीं है।

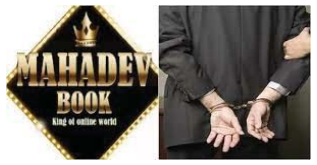

महादेव एप सट्टेबाजी घोटाले में पहली गिरफ्तारी... मुंबई क्राइम ब्रांच की SIT को मिली कामयाबी

मुंबई : चर्चित महादेव सट्टेबाजी एप धोखाधड़ी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पहली गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दीक्षित कोठारी है। पुलिस के मुताबिक, बीते साल कोर्ट के आदेश के बाद माटुंगा पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर मामला दर्ज किया था और फिर मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। महादेव बेटिंग एप और उसके प्रमोटर्स के

खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर मुंबई पुलिस ने 8 नवंबर को केस दर्ज किया था। इन लोगों पर चीटिंग करने और जुआ खिलाने के आरोप लगे थे। इस मामले में माटुंगा पुलिस थाने में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिसे बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और बाद में इसकी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई। दरअसल इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें ऐप और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माटुंगा पुलिस को केस दर्ज करने को कहा। पुलिस ने बताया कि सौरभ, रवि आदि के खिलाफ ऋक्क्ष्फ दर्ज हो गई है। इसमें आईपीसी की धारा 420 (चीटिंग), 120-इ (साजिश), आईटी एक्ट (साइबर अपराध) और गैम्बलिंग एक्ट लगाया गया है। ऋक्क्ष्फके मुताबिक, आरोपियों ने लोगों को करीब 15 हजार करोड़ का चूना लगाया है। ईडी ने दावा किया कि उसने महादेव बेटिंग एप के एजेंट असीम दास को 5.39 करोड़ रुपये कैश बरामद करने के बाद रायपुर में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक एजेंट असीम दास को ऐप प्रमोटरों ने वअए से भेजा था। आरोप है कि उसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनाव खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने का काम दिया गया था। जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त किया गया कैश महादेव ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता ‘बघेल’ तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी।

दो लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में पिता गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मलाड पूर्व में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 37 वर्षीय पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी एनजीओ में काम करने वाली महिला को हुई तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित लड़कियों की उम्र 13 और 14 साल है। आरोपी

पिता 2021 से पीड़ित बच्चियों का शोषण कर रहा था. एक एनजीओ में काम करने वाली महिला ने इलाके की लड़कियों से संपर्क किया और उनकी काउंसलिंग की, तब पीड़ित लड़कियों ने अपने साथ हुई आपबीती बताई. चूंकि आरोपी पिता लड़कियों को धमकी दे रहा था, इसलिए वे मामले की रिपोर्ट करने से डर रही थीं। आखिरकार एक एनजीओ के लिए काम करने वाली महिला ने कुरार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, रंगदारी और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इसके बाद गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. शिकायतकर्ता महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कार्यकर्ता हैं। सूत्रों ने बताया कि उनकी शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com